न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 सं0–157 / 2024

कामेश्वरी देवी – वादिनी

बनाम्

बृज बिहारी पांडेय वगैरह – प्रतिवादीगण

26.5.2025

प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 की ओर से दिनांक–16.08.2024 आदेश 7(डी) नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है कि विवादित एराजी के मूल मालिक सत्यनारायण पाण्डेय द्वारा दिनांक–05.07.2010 को पंजीकृत केबाला लिखकर कब्जा दखल दे दिया गया है। वादिनी के पति शिवनाथ पांडेय द्वारा प्रतिवादीगण के खरीदगी केबाला दिनांक–05.07.2010 की एराजी के निस्वत सत्यनारायण पांडेय से अपने पक्ष में दिनांक–13.07.2010 को नुमायशी केबाला लिखवाया गया। वादिनी के पति शिवनाथ पांडेय वो सत्यनारायण पांडेय द्वारा प्रतिवादीगण के केबाला दिनांक–05. 07.2010 को रद्द वो शून्य घोषित होने हेतु मुकदमा सं0–365 सन् 2010 दाखिल किया गया था जिसे विद्वान सिविल जज वरीय कोटि प्रथम डुमरांव द्वारा दिनांक–08.12.2017 को खारिज करते हुए प्रतिवादीगण के केबाला दिनांक–05.07. 2010 को सही दस्तावेज होना घोषित किया गया। मुकदमा सं0 365 सन् 2010 में पारित जजमेंट वो डिक्री के विरूद्ध वादिनी के पति सत्यनारायण पांडेय के वारिसानों द्वारा स्वत्व अपील सं0 5 सन् 2018 दाखिल किया गया था जिसे विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बक्सर द्वारा दिनांक–12.02.2022 को खारिज कर दिया गया। वादिनी द्वारा मांग किए गए अनुतोष का विचारण मुकदमा सं0 365 सन् 2010 वो दा0 खा0 अपील सं0 5 सन् 2018 में हो चुका है। वादिनी द्वारा प्रिलिटिगेशन के तौर पर मुकदमा दाखिल किया गया है जो पूर्व के सिद्धांत से बाधित हो जाने के वजह से काबिल खारिज के है। अतः निवेदन है कि वादिनी के आवेदन को खारिज किया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में वादी के द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए निवेदन किया गया है कि सवाल प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 कानूनन वो इंसाफन

मेंटेनेबुल नहीं है। सवाल अनावश्यक रूप से मुदईया को तंग वो तबाह करने वास्ते दाखिल किया गया है। मुदईया का मुकदमा आदेश 7 नियम 11–डी. के परिधि में नहीं आता है। अर्जी दावी के अंत में एक कुर्सीनामा जमीमा नं0 1 के अंतर्गत दिया गया है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि खतियानी रैयत स्व0 चंद्रदेव पाण्डेय को एक पुत्र स्व0 सत्यनारायण पाण्डेय एवं तीन पुत्री रामावती देवी, मनोरमा देवी एवं प्रेमा देवी रही जिनमें स्व0 सत्यनारायण की एक पुत्री भगमानों देवी हुई। मुदईया ने रामावती, मनोरमा एवं प्रेमा देवी से जो चंद्रदेव पांडेय की पुत्री है से केबाला डीड तहरीर कराया है एवं 365 सन् 2010 में स्वयं न तो कभी पक्षकार रही वो न उनके भेंडर रामावती, मनोरमा एवं प्रेमा देवी कभी पक्षकार रही। ऐसी स्थिति में 365 सन् 2010 के जजमेंट का कोई बाइडिंग इफेक्ट मुदईया खाह मुदईया के भेंडर पर होना संभव नहीं है। टाईटिल सूट 365 सन् 2010 में मुदई के रूप में स्व0 सत्यनारायण पाण्डेय रहे वो उनके द्वारा दाखिल मुकदमा खारिज हुआ लेकिन प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 का केबाला भैलिड डीड है इसका कोई एड जुडीकेशन नहीं हुआ। मुदईया ने प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 के केबाला को चैलेंज किया है वो एडजुडीकेशन ऑफ टाईटिल वो प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 के पक्ष में लिखे गये केबाला डीड को इन सक्सेस ऑफ शेयर होना घोषित करने की मांग की गयी है। ऐसी स्थिति में मुकदमा में कंप्लीट एडजुडीकेशन की जरूरत कानूनी रूप से है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 का वर्तमान आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों आधार पर खारिज होने योग्य है। सवाल प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 मुकदमा को कंप्लीट एडजुडीकेशन होने नहीं देने की नियत से वर्तमान आवेदन दाखिल किया है जो खारिज करने योग्य है। सवाल मुदालेह में कोई मेरीट नहीं है बहरहाल सवाल प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि सवाल प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद केबाला दस्तावेज नं0 6770 दिनांक–5.7.2010 को शून्य घोषित कराने हेतु लाया गया है। जिसमें वादिनी ने यह वाद विवादित केबाला को बिक्रेता का हक एवं अधिकार से अधिक भूमि के निस्वत केबाला किए जाने के आधार पर दाखिल किया है। जबकि प्रतिवादी के द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से इस विवादित केबाला दिनांक 5.7.2010 को शून्य कराने हेतु पूर्व में निर्णित वाद सं0 365 सन् 2010 में पारित जजमेंट एवं डिक्री के आधार पर

प्रांग न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण इस वाद को खारिज करने हेतु निवेदन किया है। किन्तु प्रतिवादी के द्वारा अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में किसी प्रकार कर दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। जबकि वादी के द्वारा प्रतिवादी के उपरोक्त आवेदन के आलोक में दिए गए प्रतिउत्तर में मुकदमा नं0 305 सन् 2010 में पारित निर्णय के स्तीत्व को स्वीकार किया है। किंतु अपने बचाव में कहा है कि वाद सं0 365 सन् 2010 में वादिनी कभी पक्षकार नहीं रही है। अतः वाद सं0 365 सन् 2010 के निर्णय का प्रभाव वादिनी पर नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में यह कहना न्यायोचित प्रतीत होगा कि प्रस्तुत वाद में पूर्व में निर्णीत वाद सं0 365 सन् 2010 में पारित निर्णय के आधार पर प्रांग न्याय के सिद्धांत से बाधित होगा या नहीं यह एक विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। चूंकि आदेश 7 नियम 11–डी के अंतर्गत विहित प्रावधान में शुद्ध विधि के प्रश्नों के आधार पर बाधित वाद को खारिज किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11–डी को बिना खर्च के खारिज किया जाता है।

पुनः दोनों पक्षकारों को अपने–अपने सुसंगत दस्तावेजों के साथ अग्रिम तिथि..... को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

सब जज–तृतीय